न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 68/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/66)

अमरीक सिह पुत्र बाबा सिह जाति जटसिंख निवासी 43 आर बी हाल गुरतेज कॉलोनी, रामसिह नगर तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ)

अपीलान्ट

बनाम

1. मनजीत कौर पत्नी परमजीत सिह जाति जट सिख निवासी 29 जी बी तहसील रामसिह नगर हाल गोविन्दपुरी गली नं. 1 कालकाजी मंदिर के पास, नई दिल्ली।
2. गुरविन्द्र सिह पुत्र परमजीत सिह जाति जट सिख निवासी 29 जी बी तहसील रामसिह नगर हाल गोविन्दपुरी गली नं. 1 कालकाजी मंदिर के पास, नई दिल्ली।
3. राजविन्द्र कौर पुत्री परमजीत सिह जाति जट सिख निवासी 29 जी बी तहसील रामसिह नगर हाल गोविन्दपुरी गली नं. 1 कालकाजी मंदिर के पास, नई दिल्ली।
4. लखविन्द्र कौर पुत्री परमजीत सिह जाति जट सिख निवासी 29 जी बी तहसील रामसिह नगर हाल गोविन्दपुरी गली नं. 1 कालकाजी मंदिर के पास, नई दिल्ली।
5. जरनैल सिह पुत्र बाबासिह जाति जट सिख निवासी चक 43 आर बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. रेशम सिह पुत्र बाबासिह जाति जट सिख निवासी कालकाजी मंदिर के पास नई दिल्ली।
7. बलविन्द्र कौर पुत्री बाबासिह जाति जट सिख निवासी 62 जी बी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। (हाल जिला अनूपगढ)
8. मनजीत कौर पत्नी गुरनैल सिह पुत्र बाबासिह जाति जट सिख निवासी 43 आर बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगांनगर।
9. कश्मीर कौर पुत्री बाबासिह जाति जट सिख निवासी 5 पी.एस. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
10. प्रीतम सिह पुत्र बाबा सिह जाति जट सिख निवासी 29 जी बी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। (हाल जिला अनूपगढ)
11. स्टेट ऑफ राज.

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री करण सिह तंवर – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 10
3. श्री दीपक शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 8
4. श्री राधाकिशन स्वामी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 5, 6, 7, 9
5. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय दिनांक: 22.07.2024

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 28.01.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कि अपीलान्ट ने तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर के मुकदमा संख्या 11/2020 व 12/2020 अनवान अमरीक सिह वगैरह बनाम मनजीत कौर वगैरह के निर्णय दिनांक 28.01.2022 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जाकर अपील मन्जूर फरमाई जाने का अनुतोष चाहा गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 5, 6, 7, 9 के अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित है। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3, 4 को जरिये नोटिस/अखबार मे सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि बाबासिह पुत्र महिया सिह तथा जीतकौर पत्नी बाबासिह के संयुक्त खाते में चक 29 जी.बी. के पत्थर नं. 182/416 मु. नं. 21 की 6.200 हैक्टर कृषि भूमि थी। बाबासिह व जीतकौर की दिनांक 1.1.2008 व 4.1.2000 में मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 10 बाबासिह व जीतकौर के वारिसान है। उक्त भूमि के संबध में बाबासिह व जीतकौर द्वारा तीन वसीयत दिनांक 1.4.85 दिनांक 11.1.91 व दिनांक 31.3.2004 को लिखी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत दिनांक 1.4.85 को स्वतः ही शून्य माना गया तथा आखिरी वसीयत दिनांक 31.3.2004 को संन्दिग्ध मानकर दरकिनार कर वसीयत दिनांक 11.1.91 की पालना में इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत दिनांक 1.4.85 को इस आधार पर शून्य प्रभावी माना गया कि वादगत भूमि संयुक्त खाते की है। तथा उक्त वसीयत के पश्चात दिनांक 11.01.91 को वादगत भूमि की पुनः वसीयत उप पंजीयक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

श्रीविजयगनर के समक्ष पति–पत्नी द्वारा की गई है इसलिए वसीयत दिनांक 1.4.85 शून्य प्रभावी हो जाती है। वसीयत दिनांक 11.1.91 के द्वारा बाबासिह व जीतकौर ने परमजीत सिह पुत्र बाबासिह व प्रीतम सिह पुत्र बाबासिह के पक्ष में उप पंजीयक श्री विजयनगर के संमक्ष दी गई। वसीयत दिनांक 31.3.04 के द्वारा बाबासिह द्वारा वादगत 25 बीघा भूमि में से 12.10 बीघा भूमि अमरीक सिह, परमजीत सिह, प्रीतम सिह बहिस्सा बराबर नोटेरी पब्लिक के समक्ष निष्पादित की गई। वसीयत दिनांक 31.3.04 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहते हुए दरकिनार किया गया कि वसीयतकर्ता ने स्वय माना है कि प्रश्नगत भूमि आराजीराज है तथा प्रीतम सिंह के अधिवक्ता ने फोरेन्सिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रस्तुत कर वसीयत को संदिग्ध माना है। वरूण गगनेजा की फोरेन्सिक विशेषज्ञ की तथाकथित रिपोर्ट पर संदिग्ध मानना किसी भी प्रकार से उचित नही। वरूण गगनेजा स्वय फोरेन्सिक जांच के लिए सक्षम नही है। वादगत भूमि दिनांक 7.7.88 को ही सीलिग मे अवाप्त हो गई थी जिसकी अपील न्यायालय में जैरकार थी। दिनांक 11.9.91 को भी वादगत भूमि आराजीराज थी। वादगत भूमि राजस्व मण्डल के आदेश से सन् 2016 में बहाल हुई तथा परमजीत की मृत्यु इससे पूर्व ही हो गई। ऐसी परिस्थिति मे वसीयत दिनांक 11.1.91 की पालना में रेस्पोडेन्ट सं. 1 मनजीत कौर पत्नी परमजीत सिह के नाम इंतकाल दर्ज करने का आदेश किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है। परमजीत सिह की मनजीत कौर अकेली वारिस नही है बल्कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 भी परमजीत सिह के वारिस है। जब तीन–तीन वसीयत अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष थी तो प्रकरण सिविल न्यायालय से तय करवाना चाहिए था। प्रीतम सिह स्वय अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर वसीयत दिनांक 31.3.2004 को सही माना है तथा अपनी सहमति प्रदान की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपना Legal Mind Appiy किया। अतः अपील जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील मन्जूर फरमाई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जावे कि राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार निर्णय पारित करे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि इस भूमि बाबत अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिए दो प्रार्थना पत्र पेश हुआ । अमरीकसिह के द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 11/20 व प्रीतम सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र 12/20 दर्ज रजिस्टर हुआ । अमरीकसिह का प्रार्थना पत्र 11/20 अस्वीकार हुआ तथा प्रीतम सिह का प्रार्थना पत्र 12/20 स्वीकार हुआ है। सयुक्त खाते की भूमि होते हुए किला नम्बर सहित परमजीत सिह को खोल दिये जाने के कारण जिसे दुरूस्त करने के लिए पुनः दिनांक 11.1.1991 में वसीयत दायर की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत दिनांक 11.1.1991 में किए गये आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा कोई चुनौति नही दी गई है। दोनो प्रार्थना पत्रो के विरूद्व अपील दायर नही की गई है अपीलान्ट द्वारा एक ही अपील पेश की गई है। अगर प्रकरण दो अलग अलग दायर हुए है तो दोनो प्रार्थना पत्रो की अपील अलग अलग करनी चाहिए। वसीयत दिनांक 11.1.1991 की पालना की जा चुकी है । प्रीतम सिह के द्वारा ऐसा कोई शपथ पत्र पेश नही किया गया जिसमें वसीयत दिनांक 31.3.2004 को सही माना है अपीलान्ट के अभिभाषक गलत बयानी कर रहे है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित नही है, फोटो स्टेट दस्तावेज है यह दस्तावेज कहा से प्राप्त किया पता ही नही चलता है। ऐसे दस्तावेज न्यायालय में पढे जाने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 8 के विद्वान अभिभाषक ने रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के अभिभाषक की बहस का समर्थन करते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि तहसील श्रीविजयनगर के चक 29 जी. बी, प. नं.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

182/416 (21) के किला नं. 1 ता 24 के 5.947 हैक्टेयर भूमि बाबासिंह पुत्र महियासिह व जीतकौर पत्नी बाबासिह की सयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। हस्तगत भूमि के संबध में दिनांक 01.04.1985 को सरजीत कौर उर्फ(जीतकौर) पत्नी बाबासिह द्वारा वसीयत की जाना दिनांक 11.01.1991 को बाबासिह व जीतकौर द्वारा संयुक्त रूप से वसीयत की जाना व दिनांक 31.03.2004 को बाबासिह द्वारा वसीयत किया जाना पत्रावली पर प्रतिवेदित किया है। दस्तावेजात के अवलोकन से पाया है कि दिनांक 01.04.1985 की वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत है तथा सरजीत कौर पत्नी बाबासिह द्वारा चक 29 जी बी के मुरब्बा नम्बर 103 की 10–10 बीधा भूमि पुत्र परमजीतसिह व 2 बीधा भूमि पुत्र प्रितमसिह को वसीयत की गई, उक्त वसीयत में संयुक्त खाता होने के बावजूद किलेवार भूमि की वसीयत की गई, चूंकि दिनांक 11.01.1991 को बाबासिह व जीतकौर द्वारा संयुक्त रूप से चक 29 जी बी मे स्थित भूमि की वसीयत की गई तथा वसीयत को उप पंजीयक के समक्ष पंजीबद्व भी करवाया, ऐसी स्थिति में सरजीतकौर उर्फ जीतकौर द्वारा दिनांक 01.04.1985 को निष्पादित वसीयत प्रभावशून्य हो जाती है। दिनांक 11.01.1991 को निष्पादित वसीयत में भूमि का हिस्सा परमजीतसिह का उसी प्रकार रखा गया जैसा कि वसीयत दिनांक 01.04.1985 मे वर्णित है यानि किला नं. 1, 2, 9 ता 22 की 2.530 हैक्टेयर व किला नं. 25 की 0.126 हैक्टेयर यानि कुल 2.656 हैक्टेयर (10–10 बीधा) परमजीतसिह पुत्र बाबासिह व शेष किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24 की 3.542 हैक्टेयर व किला नं. 25 की 0.127 हैक्टेयर मय ढाणी कुल 3.669 हैक्टेयर (14–10 बीधा) प्रीतमसिह पुत्र बाबासिह के पक्ष मे पंजींबद्व वसीयत निष्पादित की गई। दिनांक 31.03.2004 को भी बाबासिह द्वारा वसीयत निष्पादित किया जाना प्रतिवेदित किया है। दस्तावेजात के अवलोकन से यह वसीयत उपपंजीयक के संमक्ष पंजीबद्व होना नही पाई गई व वसीयत अस्पष्ट पाई गई। दिनांक 31.03.2004 को उक्तानुसार निष्पादित वसीयत को पत्रावली के सलग्न फोरेनसिक विशेषज्ञ, वरूण गगनेजा की रिपोर्ट मे भी " Not Genuine" माना है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 29.09.2020

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 11.01.1991 की वसीयत अनुसार प्रीतमसिह मौके पर ढाणी मय कब्जा काश्त व परमजीत सिह के वारिसान का भी वसीयत के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। उक्त तथ्यो से यह परिलक्षित होता है कि प्रीतमसिह व परमजीतसिह का माफिक पंजींबद्व वसीयत दिनांक 11.01.1991 मौके पर लम्बे समय से कब्जा काश्त है तथा प्रीतम सिह की ढाणी भी है। उक्त तथ्यो व विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2022 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है।

उक्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2022 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर